न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 92 / 2024 FSSA

1. सरकार जरिये महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री महेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मैसर्स :— महेश किराना स्टोर, पताः— बहरावण्डा रोड़, सराय तहसील सिकराय जिला दौसा पिन— 303501

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— **27.04.2026**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सैनी ने दिनांक 20.05.2024 को प्रातः 11.30 बजे मैसर्स महेश किराना स्टोर, पता— बहरावण्डा रोड, सराय तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री महेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद उपस्थित मिला ने स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचर देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक साफ सुथरे लोहे के पीपे में लगभग 10 लीटर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1.600 लीटर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) खरीदा। जिसकी कीमत 180 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खदीदशुदा 1.600 लीटर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतल में बराबर—बराबर (400—400 एम एल) डालकर ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—4327 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बॉधकर नमूनों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर फार्म 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षकर करवाकर उसकी एक प्रति एफबीओ विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5ए पर प्राप्त की। मौके पर पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता)एफबीओ व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (स्वयं) द्वारा दिनांक 21.05.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.05.2024 को

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.05.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) का नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 2060 / एक्ट / 2023 / 2288 दिनांक 14.06.2024 के अनुसार नियम अमानक स्तर (Substandard) and Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b)एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (Sale of oils & fats is restricted in loose condition) पाया जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) का नमूना की जांच मे खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 2060 / एक्ट / 2023 / 2288 दिनांक 14.06.2024 के अनुसार saponification value 184.05 आई है जो तय मानको के अनुसार 168.0 से 177.0 तक हो सकती है तथा Acid value 13.70 आई है जो 6.0 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उक्त खाद्य पदार्थ को loose condition में विक्रय किये जाने के कारण खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) अमानक स्तर (Substandard) and Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b)एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (Sale of oils & fats is restricted in loose condition) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं 2 (v) का उल्लंघन किया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि किसी भी लिक्विड खाद्य वस्तु का सेंपल लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उस वस्तु में से जिसमें से सेंपल लिया जा रहा है, को किसी डंडे से टॉप से बॉटम तक क्लोकवाइस तथा एंटीक्लोक वाइस घूमाकर उसका सेंपल लिया जाना चाहिए था परन्तु इस प्रकार से सेंपल नहीं लिया जाकर सीधा तेल खरीदा गया जो विधि के मान्य नियम व कानून की अवहेलना कर लिया गया है। खाद्य विश्लेषक को खाद्य नमूने की जांच हेतु दिनांक 21.05.2024 को प्राप्त हो गया था जिसकी जांच रिपोर्ट 14.06.2024 को भेजी गई है। जो कि चौदह दिन में ही भेजी जानी चाहिए थी। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सेंपल लेने, पैक करने की कार्यवाही विधि के प्रावधानों के सिद्धान्तों के विरूद्ध की गई है। अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेंपल लेने व पैक करने की कार्यवाही विधि के प्रावधान अनुसार की जाती और खाद्य विश्लेषक द्वारा सेंपल की जांच विधि में बताई गई प्रक्रिया में की जाती तो जांच रिपोर्ट मानकता के अनुसार ही आती। अतः प्रार्थी अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही समाप्त करवाने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 2060 / एक्ट / 2023 / 2288 दिनांक 14.06.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) के नूमने की जांच में की जांच में उक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर (Substandard) एवं Contravention to the Regulation No. 2.3.15(1)(b)एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 92/2024 FSSA

(Sale of oils & fats is restricted in loose condition) पाया पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Substandard) के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मैसर्स महेश किराना स्टोर,पता–बहरावण्डा रोड, सराय तहसील सिकराय जिला दौसा पर 8,000/–(अक्षरे आठ हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.04.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/4/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/FSSA/ 127-129
दिनांकः– 27-04-2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मैसर्स महेश किराना स्टोर,पता–बहरावण्डा रोड, सराय तहसील सिकराय जिला दौसा। पिन कोड 303501

27/4/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा